भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1824
जिसका उत्तर मंगलवार 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है

लग्जरी वाहनों पर उपकर

1824. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लग्जरी वाहनों और ऑटोमोबाइलों पर उपकर कम करने का निवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लग्जरी कार निर्माताओं को लाभ पहुंचाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्रें के उपक्रमों के जीर्णोद्धार का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निश्चित प्रकार के लग्जरी वाहनों पर रियायत की मांग की गई है। इस पर विचार किया गया है और विचार-विमर्श के बाद जीएसटी परीषद ने लग्जरी वाहनों पर उपकर में कमी करने की सिफारिश नहीं की है। आगे यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में लग्जरी कार विनिर्माताओं को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): जब कभी व्यवहार्य हुआ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसीज) के पुनरुद्धार के प्रस्तावों को मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ रखा गया। इस समय भारी उद्योग विभाग ने घाटे में चल रहे अपने सीपीएसीज के पुनरुद्धार हेतु ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसे मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखा जा सके।

******